भारत सरकार

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3000

13 अगस्त, 2026 को उत्तर के लिए निर्धारित

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी

3000 डा. परमार जशवंतसिंह सालमसिंहः

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विभाग ने जनरेटिव एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु कोई समर्पित निधियन आरंभ किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान देशभर में "विज्ञान ज्योति योजना" के अंतर्गत लाभान्वित हुई विद्यालयी छात्राओं की संख्या कितनी है;

(घ) क्या 'विज्ञान एवं अभियांत्रिकी में महिलाएं-किरण (वाइज-किरण)' के अंतर्गत महिला शोधकर्ताओं हेतु मार्गदर्शन और कैरियर प्रोन्नति सहायता के लिए कोई संस्थागत तंत्र मौजूद है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) आगामी वर्षों में उभरते विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु क्या रूपरेखा है?

उत्तर

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) से (ख): विभाग ने राष्ट्रीय अंतरविषयक साइबर-भौतिकी प्रणाली मिशन (एनएम-आईसीपीएस) के अंतर्गत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), मशीन लर्निंग (एमएल), रोबोटिक्स, क्वांटम प्रौद्योगिकियों, सेमीकंडक्टर्स और साइबर सुरक्षा सहित अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए देश भर के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में 25 प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र (टीआईएच) स्थापित किए हैं। यह मिशन एक समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करता है, जो महिला शोधकर्ताओं, संकाय सदस्यों, छात्रों, नवप्रर्वतकों और उद्यमियों को अनुसंधान, कौशल विकास, नवाचार, स्टार्टअप गतिविधियों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अवसरों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता और सक्षम बनाता है।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान देश भर में विज्ञान ज्योति योजना के अंतर्गत लाभान्वित हुईं विद्यालयी छात्राओं की संख्या नीचे दी गई है:

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	लाभान्वित छात्राओं की संख्या
1.	2023-24	23642
2.	2024-25	29443
3.	2025-26	29934

(घ) से (ङ): विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (स्टेम) के क्षेत्रों में महिलाओं के मार्गदर्शन और करियर प्रोन्नति सहायता के लिए विज्ञान एवं अभियांत्रिकी में महिलाएं (वाइज़)-किरण योजना के अंतर्गत एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया है, जो विद्यालयी शिक्षा से लेकर अनुसंधान और नेतृत्व तक जीवन-चक्र आधारित दृष्टिकोण के आधार पर कार्य करता है। विज्ञान ज्योति कार्यक्रम कक्षा IX-XII में अध्ययनरत मेधावी छात्राओं को स्टेम के क्षेत्रों में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने और करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ महिलाओं की भागीदारी कम है। अनुसंधान के स्तर पर, पीएच.डी. के लिए वाइज अध्येतावृत्ति (वाइज़-पीएचडी) कार्यक्रम महिलाओं को मूलभूत एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान के क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए सहायता प्रदान करता है, वहीं, वाइज-पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति (वाइज़-पीडीएफ) और वाइज़-सामाजिक चुनौतियां और अवसर (वाइज़-स्कोप) कार्यक्रम स्टेम विषयों में महिलाओं को पोस्ट-डॉक्टोरल अनुसंधान करने के लिए सहायता प्रदान करते हैं। वरिष्ठ महिला वैज्ञानिकों को 'विमेंस इंस्टिंक्ट फॉर डेवलपिंग एंड अशरिंग इन साइंटिफिक हाइट्स एंड इनोवेशन' (विदुषी) कार्यक्रम के माध्यम से अपने वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संबंधी करियर को जारी रखने में सक्षम बनाया जाता है। बौद्धिक संपदा अधिकारों में वाइज़ इंटर्नशिप (वाइज़-आईपीआर) कार्यक्रम के अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकार के क्षेत्र में एक वर्षीय कार्य के दौरान प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिसका उद्देश्य व्यावसायिक कौशलों का विकास करना तथा उनके लिए करियर के अवसरों को बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त, डीएसटी द्वारा नवाचार और उत्कृष्टता के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुसंधान का सुदृढ़ीकरण (क्यूरी) कार्यक्रम के अंतर्गत महिला संस्थानों को अनुसंधान अवसंरचना एवं सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए संस्थागत सहायता प्रदान की जाती है, जिससे अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सके।

(च) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा वाइज़-किरण योजना के विभिन्न घटकों के माध्यम से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (स्टेम) के उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को लगातार बढ़ावा दे रहा है। इन पहलों को सुदृढ़ करने तथा इनके दायरे का विस्तार करने पर कार्यक्रम की आवश्यकताओं, उभरती हुई राष्ट्रीय प्राथमिकताओं तथा उपलब्ध निधियों और बजटीय सहायता के आधार पर समय-समय पर विचार किया जाता है।
